न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/04/2012	2012/00028	02.07.2012	02.12.2025

1.पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

——निगरानीकार

बनाम

01.श्रवण सिंह पुत्र श्री भौरे लाल बडवा जाति बडवा राजपूत, निवासी श्रीनगर, तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान–मृतक
1/1.नारंगी देवी पत्नी श्रवण सिंह,
1/2.गिर्राज सिंह पुत्र श्रवण सिंह,
1/3.तेजपाल सिंह पुत्र श्रवण सिंह, जाति बडवा राजपूत, निवासी श्रीनगर, तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।
1/4.पिस्ता कंवर पुत्री श्रवण सिंह पत्नी बाबूसिंह हाल निवासी ग्राम मेहसवा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
1/5.विनोद कंवर पुत्री श्रवण सिंह पत्नी जितेन्द्र सिंह हाल वासी ग्राम तुगांलवाण जिला जयपुर।
1/6.बीना कंवर पुत्री श्रवण सिंह पत्नी गोलूजी हाल वासी ग्राम/पोस्ट तुगांलवाण जिला जयपुर।
02.ग्राम पंचायत अलेई, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर राजस्थान जरिये सचिव/सरपंच।

——गैरनिगरानीकार

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 (1) राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 बरखिलाफ आज्ञा ग्राम पंचायत अलेई दिनांक 14.09.1998, जिसके द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 1 को गैरकानूनी रूप से पटटा आबादी भूमि बाबत जारी किया एवं प्रस्ताव दिनांक 14.09.1998 का गलत प्रकार से व पंचायत के अधिनियमों के खिलाफ लिया गया जो प्रस्ताव एवं पट्टा न 503 को निरस्त किया जावे।

उपस्थितः–
01. श्री के.के. मीणा

– वकील निगरानीकार

–:: निर्णय ::–

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अलेई दिनांक 14.09.19981 पट्टा संख्या 503 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 14.09.1998 को गैर निगरानीकार संख्या दो ने गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 14.09.1998 का उसके हक में भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत आदेश पारित किया एवं इस बाबत प्रस्ताव भी गलत प्रकार से व ग्गाम पंचायत के प्रावधानो से विपरित जाकर व ग्ग्राम पंचायत के सिद्धांतो व नियमो का उल्लघंन किया है जो भूमि वन भूमि है जिसका पटटा जारी करने का गाम पंचायत का कोई क्षेत्राधिकार नही था। तथा उक्त पटटान में गलत प्रकार से हदूद अर्बा व पैमाईया तरफ पूर्व 105 व तरफ पश्चिम को 105 व तरफ उत्तर को व दक्षिण 60 दर्ज करते हुऐ वन विभाग की भूमि में पटटा जारी किया जो गलत प्रकार व नियमो के विपरीत पटटा व प्रस्ताव लिया गया । तथा इस बाबत शुल्क तौर पर गैरनिगरानीकार संख्या एक से 200 रूपये वसुल किये गये तथा उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई। उपयुक्त वर्णित पट्टा जारी करते

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

समय गैरनिगरानीकार संख्या दो ने ना तो केवल पंचायत अधिनियम के अहम प्रावधानो की अनदेखी की है बल्के विधि के सामान्य सिद्धांतो का भी पालीन नही किया गया है।

गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने जहां पट्टे जारीकिये गये ना हि किसी भी प्रकारकी उजदारी नोटिस, मौका निरिक्षण रिपोर्ट, हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पंचायत के फैसले रिपोर्ट नहीं पाई जबकि गैरनिगरानीकार संख्या दो ने खसरा नम्बर 16 व 29 वन विभाग की भूमि है। जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को कतेई नही था । ग्राम पंचायत को पंचायत अधिनियम में आबादी मे ही पट्टा जारी किया जाना चाहिये था लेकिन ग्गप्रमपंचायत द्वारा गलत प्रकार से वन विभाग कीभूमि मे गैरनिगरानीकर्ता संख्या एक केहक मे पटटा जारी कर दिये। जैसा कि वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड मे जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है वह गैरमुमकिन पहाड रिकोर्ड मे दर्ज है। अगर गाम पंचायत वन विभाग की या सिवायचक चारागाह भूमि में कोई पट्टा दिया जाता है या प्रस्ताव लिया जाता है तो उसके लिये प्रस्ताव लेकर भूमि की किस्म परिवर्तन केलिये जिलाधीश महोदय के लिये भेजा जाताहै एवं अनुमति ली जाती है लेकिन गामपंचायत ने ऐसा ना करते हुऐ ग्गाम पंचायत के अधिनियमो के खिलाफ जाकर उक्त पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक में जारी किया जो पट्टा व प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत समिति राजगढ विकास अधिकारी द्वारा ग्गाम पंचायत अलेई के जाँच करवाने बाबत उसमे यह पाया गया कि यह पट्टे वन भूमि में जारी किये गये है जो ग्गप्रमपंचायत के अधिनियमो के खिलाफ है। उक्त पट्टा व प्रस्ताव गैरनिगरानीकार संख्या 02 द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या एक के हक मे जारी होने की जानकारी जॉच रिपोर्ट के अनुसार हुई जिस कारण यह निगरानी याचिका बिना देरी से पेश है। उक्त जॉच मे भारी अनियमितता जॉच अधिकारी द्वारा पाई गई।

निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। राज० पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नियमन पट्टा न० आदेश दिनांक 14.09.1998 व प्रस्ताव दि० 14.09.1998 को अवैध करार दिया जाकर निरस्त किये जाने बाबत आज्ञा सादिर प्रदान करे। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अलेई, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर द्वारा जारी पट्टा संख्या 503/14 दिनांक 06.12.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है। जांच रिपोर्ट (विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ़) के अनुसार जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया, वह खसरा संख्या 16 एवं 29, रिकार्ड में वन विभाग की भूमि/गैरमुमकिन पहाड़ दर्ज है। ग्राम पंचायत को वन भूमि, सिवायचक, चारागाह, गैरमुमकिन पहाड़ पर किसी प्रकार का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करते समय उजदारी नोटिस जारी नहीं किया मौके का निरीक्षण नहीं किया गया न ही पटवारी की रिपोर्ट ली गई। पट्टे में गलत सीमाएँ, अनियमित पैमाइश तथा बिना सक्षम अनुमति के वन भूमि में अतिक्रमण कर पट्टा जारी किया गया। भूमि का किस्म परिवर्तन (Conversion) हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को नहीं भेजा गया, जबकि कानूनन यह आवश्यक था। शुल्क (200रूपये) ग्राम पंचायत द्वारा वसूलकर जमा किया गया, परंतु यह पट्टा जारी करने की वैधता सिद्ध नहीं करता। जांच में स्पष्ट अवैधानिकता एवं भारी अनियमितताएँ पाई गईं। धारा 97(1) में कोई समय सीमा नहीं है; अवैधानिकता ज्ञात होने पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी भूमि के मामले में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्रस्ताव, सीमाज्ञान, मौका निरीक्षण, उजदारी नोटिस आदि की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पारदर्शिता व न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। गैरनिगरानीकार संख्या 2 (तत्कालीन सरपंच/सचिव) द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्रस्ताव पास कर गलत पट्टा जारी किया गया, जिससे पंचायती राज अधिनियम, नियमों एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान की गाइडलाइनों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा न केवल विधिक क्षेत्राधिकार से बाहर था, बल्कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों व पारदर्शिता की कमी के कारण न्यायिक दृष्टिकोण से भी असंगत व अवैध है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत अलेई द्वारा जारी पट्टा संख्या 503 दिनांक 14.09.1998 को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर